

15-01-2025

1688 / 2024 भानू यादव वि० ममता यादव

परिवादी द्वारा श्री यश कुमार दुबे अधिवक्ता
उपस्थित।

आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी ममता यादव पत्नी
वेदराम यादव एवं वेदराम यादव पिता श्री कप्तान सिंह
यादव की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि
प्रकरण दिनांक 25.06.2024 से लंबित है। दिनांक 16.
08.2024 से आरोपीगण सतत अनुपस्थित है। पूर्व
दिनांकों पर आरोपीगण को जारी गिरफ्तारी
वारंट/आदेशिकाएं तामील/अदम तामील वापिस
प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः यह दर्शित होता है कि
आरोपीगण जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बचने का
प्रयास कर रहा है।

अतः आरोपीगण के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी
वारंट जारी किया जावे। वारंट पर टीप अंकित की
जावे कि आरोपी की प्रथम उपस्थिति हेतु वारंट जारी
किया जा रहा है।

संबंधित आरक्षी केन्द्र के कर्मचारी से आदेश
पत्रिका पर वारंट प्राप्त करने की पावती ली जावे एवं
उसके हस्ताक्षर सहित नाम व पदनाम अंकित कराया
जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर
अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

प्रकरण के प्रथम पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट
लगाया जावे कि प्रकरण में आरोपी फरार है, प्रकरण
नष्ट न किया जावे।

(प्रियंका मालपानी राठी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

जिला न्यायालय